Website : www.prsuinv.ac.in

E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1643 / 2022

दिनांक– 16 / 03 / 2022

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक: 14.01.2022 के अनुपालन में दुर्गा देवी हीरा लाल डिग्री कालेज, दूल्हूपुर, प्रतापगढ़, उ0प्र0 को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–पी0 आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 4081 / 2021 दिनांक 01.10.2021 में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरांत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, प्रा0भा0 इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2021–22 से सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. **यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 61869 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– 522 / सत्तर–2–2013–2(850) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक: 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।**
3. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष की 15 जुलाई तक प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. **संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता तथा निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जाँच कराये जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नही पाई जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रवेश / सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों तथा अन्य पक्षों पर बाध्यकारी होगा।**
5. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक / निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. संस्था सदैव अपने यहाँ राज्य सरकार / यू0जी0सी0 / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत् तरीके से पठन–पाठन नही हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नही करायेगा।
8. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालय अपने यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।
10. महाविद्यालय अपने यहाँ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन यू0जी0सी0 के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

प्राचार्य
दुर्गादेवी हीरालाल डिग्री कालेज
दूल्हूपुर प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रो0रा0सिं0वि0वि0/सम्बद्धता/2022- 1126

दिनांक 21 सितम्बर, 2022

सम्बद्धता आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 22.09.2022 के अनुपालन में दुर्गा देवी हीरालाल डिग्री कालेज, देल्हूपुर, प्रतापगढ़, उ0प्र0 को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में **बी0एससी0** पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2023-24** से सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(82)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदत्त की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का पैनकार्ड, आधार कार्ड, अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 522/सत्तर-2-2013-2(660)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या- 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
10. शासनादेश संख्या-290/सत्तर-2-2020-16(31)/2018 दिनांक 13.05.2020 एवं पत्र संख्या-286/सत्तर-2-2020-13(31)/2018 दिनांक 25.04.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- प्रो0रा0सिं0वि0वि0/कु0स0/2021-460 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदय।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्धक, दुर्गा देवी हीरालाल डिग्री कालेज, देल्हूपुर, प्रतापगढ़, उ0प्र0।
4. परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6. प्रभारी एजेंसी को कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्राचार्य
दुर्गादेवी हीरालाल डिग्री कालेज
देल्हूपुर, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)